

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/2025-02966

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

गेहूं आवंटन आदेश माह जनवरी, 2026
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश संख्या 7-1/2019-बीपी-III पार्ट V (e-376706) दिनांक 16.10.2023 एवं आदेश संख्या 15-33/2012-NFSA-पार्ट दिनांक 23.11.2023 विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गार्डलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह जनवरी, 2026** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **13.11.2025** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- **माह जनवरी, 2026** हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 से प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावे। खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ायी जावेगी तथा कम उठाव किये जाने के कारण लाभार्थियों के गेहूं प्राप्ति से वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 4- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 5- आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत मात्रा के उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी। वह उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति किये गये गेहूं का तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।



- 7- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 8- गेहूं वितरण की ग्राहकपर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 9- सप्लाय चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें। जिला रसद अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी उचित मूल्य दुकान पर आवश्यकता से अधिक स्टॉक एकत्रित न होने पावें।

10- ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पोस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11- माह जनवरी, 2026 के आवंटन में एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य प्रारम्भिक अवशेष स्टॉक का समायोजन किया गया है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें। यहां यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी निष्क्रिय पोस मशीन हेतु आर.ओ.जारी न हो पावें।

14- "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

15- माह जनवरी, 2026 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी आदेश दिनांक 30.10.2024 एवं पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह में प्रत्येक दिन समानुपातिक रूप से करते हुए अंतिम तिथि तक शत-प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोट:-माह जनवरी, 2026 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का 41 जिलों के आधार पर किया जा रहा है। आवंटित खाद्यान्न का उठाव एवं उचित मूल्य दुकान पर आपूर्ति वर्तमान टेण्डर अवधि समाप्ति तक पूर्वानुसार परिवहनकर्ता के माध्यम से की जावेगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील पूनिया)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों पर वितरण के इन्द्राज हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खोलने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारतसरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम आवंटित गेहूँ की उचित मूल्य दुकानों पर तौल कराकर आपूर्ति कराया जाना तथा आपूर्ति की गई सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु ऑप्शन स्थायी रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी संबंधित से ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

NFSA Regular Wheat Allotment January-2026

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	378.833	588.812	245.937	4697.260	5910.842
2	Alwar	361.124	878.545	261.546	4858.368	6359.583
3	Balotra	308.015	932.335	122.397	2755.700	4118.447
4	Banswara	1384.412	1975.580	582.407	3133.307	7075.706
5	Baran	1471.117	720.731	151.952	2674.661	5018.461
6	Barmer	439.721	1143.111	194.267	3923.634	5700.733
7	Beawar	415.337	661.368	212.931	2768.476	4058.112
8	Bharatpur	269.448	797.958	193.549	3576.135	4837.090
9	Bhilwara	747.721	1270.276	417.339	4325.599	6760.935
10	Bikaner	342.695	1652.500	346.708	3385.977	5727.880
11	Bundi	408.763	655.111	185.073	2746.674	3995.621
12	Chittaurgarh	834.554	775.491	502.707	2494.273	4607.025
13	Churu	666.582	1611.628	328.291	3802.634	6409.135
14	Dausa	311.209	985.074	151.131	3943.726	5391.140
15	Deeg	215.087	562.687	138.290	3000.290	3916.354
16	Dhaulpur	274.192	602.168	126.797	3184.083	4187.240
17	Didwana-	244.482	657.727	138.048	4871.460	5911.717
18	Dungarpur	1032.194	2220.928	304.390	2405.717	5963.229
19	Ganganagar	367.176	1199.844	133.305	4100.161	5800.486
20	Hanumangarh	422.560	892.422	152.240	3211.330	4678.552
21	Jaipur	375.887	1349.554	420.991	11801.752	13948.184
22	Jaisalmer	183.125	360.445	85.836	1250.111	1879.517
23	Jalor	706.878	1373.994	297.633	3737.331	6115.836
24	Jhalawar	574.433	1088.984	263.730	3678.369	5605.516
25	Jhunjhunun	294.253	492.601	188.124	5334.917	6309.895
26	Jodhpur	173.498	1016.848	112.621	6097.643	7400.610
27	Karauli	487.437	1250.181	224.307	2730.872	4692.797
28	Khairthal-Tijara	154.583	213.253	110.044	2411.740	2889.620
29	Kota	308.309	949.265	149.976	3388.182	4795.732
30	Kotputli-Behror	172.638	460.622	182.638	3270.188	4086.086
31	Nagaur	280.422	577.704	188.915	4408.186	5455.227
32	Pali	402.329	881.181	212.819	3491.534	4987.863
33	Phalodi	92.200	456.443	51.496	1715.923	2316.062
34	Pratapgarh	469.198	947.606	227.061	1847.244	3491.109
35	Rajsamand	562.151	751.555	212.528	2285.986	3812.220
36	Salumbar	394.434	889.135	190.355	890.874	2364.798
37	Sawai Madhopur	486.466	745.352	251.970	3014.485	4498.273
38	Sikar	263.954	744.596	164.646	7254.828	8428.024
39	Sirohi	312.430	488.537	162.326	2454.455	3417.748
40	Tonk	519.801	830.763	319.625	3503.126	5173.315
41	Udaipur	1215.485	2279.593	476.804	3944.447	7916.329
Total		19325.133	38932.508	9383.750	148371.658	216013.049